

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

विक्रि भवन, 14-अशोक मार्ग,

लखनऊ।

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

सार्वजनिक सूचना

विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 64 के अन्तर्गत, उ०प्र० सरकार के उपक्रम, यथा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि० एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० द्वारा प्रथम नियन्त्रण वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु बिजनेस प्लान, वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव एवं बहुवर्षीय दर प्रस्ताव तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु टू-अप प्रस्ताव दिनांक 21.06.2017 को तथा कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाय कम्पनी द्वारा दिनांक 30.11.2016 को मा० उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अग्रेतर, विभिन्न श्रेणियों हेतु टैरिफ/दर अनुसूची प्रस्ताव दिनांक 08.08.2017 को प्रस्तुत किया गया था।

माननीय नियामक आयोग ने अपने आदेश दिनांक 04.09.2017 द्वारा उपरोक्त याचिकायें स्वीकार कर ली हैं। मा० नियामक आयोग के उक्त आदेश के अनुपालन में बिजनेस प्लान, वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं बहुवर्षीय दर प्रस्ताव तथा टू-अप याचिका के मुख्य बिन्दु उपभोक्ताओं एवं सामान्य जनता की जानकारी के लिए निम्नवत् सूचित किये जाते हैं:-

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०

| विवरण | वर्ष 2014-15 (टू-अप) | वर्ष 2017-18 (एम०वाई०टी०) | वर्ष 2018-19 (एम०वाई०टी०) | वर्ष 2019-20 (एम०वाई०टी०) |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| वितरण कम्पनियों को ऊर्जा विक्रय (मि०यू०) | 25,945 | 36,702 | 42,735 | 47,684 |
| ऊर्जा विक्रय (मि०यू०) | 20,845 | 30,030 | 36,240 | 42,057 |
| वितरण लाईन हानियाँ (%) | 19.65% | 18.18% | 15.20% | 11.80% |
| व्यय (रू० करोड़) | | | | |
| ऊर्जा क्रय मूल्य (यू०पी०पी०सी०एल० ओ० एण्ड एम० सम्मिलित) | 11,727.17 | 16,366.51 | 19,879.31 | 23,151.05 |
| ट्रांसमिशन चार्ज | 457.66 | 760.09 | 1,010.67 | 1,250.28 |
| अधिष्ठान व्यय | 442.04 | 1,345.53 | 1,779.80 | 2,036.80 |
| लेखा एवं सामान्य व्यय | 56.35 | 133.55 | 188.20 | 216.34 |
| अनुरक्षण व्यय | 186.06 | 446.26 | 602.98 | 749.62 |
| ब्याज एवं वित्त प्रभार | 363.14 | 1,023.29 | 1,373.87 | 1,556.27 |
| प्रावधान (बैड एवं डाउटफुल डेब्ट्स) | 72.49 | 102.77 | 112.85 | 123.97 |
| हास | 490.90 | 276.27 | 461.32 | 616.56 |
| आर०ओ०ई० | - | 504.64 | 669.33 | 816.96 |
| घटायें: ब्याज एवं अन्य पूंजीकृत खर्च | 200.12 | 373.47 | 512.42 | 577.02 |
| कुल खर्च | 13,595.71 | 20,585.46 | 25,565.91 | 29,940.83 |
| घटायें: अन्य आय | 14.61 | 26.45 | 27.48 | 28.56 |
| घटायें: राजस्व सहायकी | 1,702.45 | 1,989.61 | 2,227.69 | 1,451.08 |
| कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता | 11,878.65 | 18,569.39 | 23,310.73 | 28,461.19 |
| लागू दरों पर राजस्व | 10,370.21 | 15,660.08 | 19,567.90 | 22,945.45 |
| राजस्व अन्तर | 1,508.44 | 2,909.31 | 3,742.83 | 5,515.74 |
| प्रस्तावित दरों से अतिरिक्त राजस्व | - | 3,214.52 | - | - |
| शेष अन्तर | 1,508.44 | -305.21 | 3,742.83 | 5,515.74 |
| औसत उर्जा क्रय दर (बल्क आपूर्ति दर) (रू०/यूनिट) | 4.52 | 4.46 | 4.65 | 4.86 |
| औसत कास्ट ऑफ सर्विस (रू०/यूनिट) | 6.52 | 6.85 | 7.05 | 7.11 |
| सभी डिस्काम: औसत कास्ट ऑफ सर्विस (रू०/यूनिट) | 6.97 | 7.14 | 7.24 | 7.22 |
| सभी डिस्काम: लागू दरों पर थ्रू रेट (रू०/यूनिट) | 5.21 | 5.15 | 5.18 | 5.10 |
| सभी डिस्काम: प्रस्तावित दरों पर थ्रू रेट (रू०/यूनिट) | | 6.32 | | |
| सभी डिस्काम: प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि (%) | | 22.62% | | |
| सभी डिस्काम: राजस्व अन्तर को समाप्त करने हेतु आवश्यक औसत टैरिफ वृद्धि (%) | | 38.58% | | |
| आयोग के आदेश दिनांक 01.08.2016 द्वारा अनुमोदित राजस्व अन्तर (वर्ष 2013-14 के टू-अप सम्मिलित) | | - | | |
| घटायें: वर्ष 2014-15 हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित अन्तर जो उक्त राजस्व अन्तर में सम्मिलित है | | (767.63) | | |
| कुल संचयी राजस्व अन्तर | | 1,970.86 | 5,713.69 | 11,229.43 |

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०

| विवरण | वर्ष 2014-15 (ट्रू-अप) | वर्ष 2017-18 (एम०वाई०टी०) | वर्ष 2018-19 (एम०वाई०टी०) | वर्ष 2019-20 (एम०वाई०टी०) |
|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| वितरण कम्पनियों को ऊर्जा विक्रय (मि०यू०) | 17,748 | 30,793 | 35,969 | 40,094 |
| ऊर्जा विक्रय (मि०यू०) | 13,893 | 24,717 | 30,058 | 35,202 |
| वितरण लाईन हानियाँ (%) | 21.72% | 19.73% | 16.43% | 12.20% |
| व्यय (रू० करोड़) | | | | |
| ऊर्जा क्रय मूल्य (यू०पी०पी०सी०एल० ओ० एण्ड एम० सम्मिलित) | 8,022.47 | 13,731.72 | 16,732.30 | 19,465.81 |
| ट्रांसमिशन चार्जेंज | 313.08 | 637.73 | 850.68 | 1,051.26 |
| अधिष्ठान व्यय | 507.79 | 1,733.11 | 2,005.47 | 2,178.33 |
| लेखा एवं सामान्य व्यय | 132.36 | 139.09 | 163.12 | 183.41 |
| अनुरक्षण व्यय | 364.14 | 565.19 | 713.86 | 874.01 |
| ब्याज एवं वित्त प्रभार | 229.34 | 643.16 | 857.05 | 978.83 |
| प्राक्धान (बैड एवं डाउटफुल डेब्ट्स) | 184.72 | 216.89 | 234.03 | 247.24 |
| ह्रास | 427.34 | 312.67 | 415.03 | 517.16 |
| आर०ओ०ई० | - | 375.80 | 467.44 | 563.12 |
| घटायें: ब्याज एवं अन्य पूंजीकृत खर्च | 215.72 | 369.81 | 446.69 | 492.55 |
| कुल खर्च | 9,965.53 | 17,985.56 | 21,992.29 | 25,566.62 |
| घटायें: अन्य आय | 27.78 | 18.28 | 18.99 | 19.73 |
| घटायें: राजस्व सहायकी | 1,838.04 | 1,436.70 | 1,144.50 | 686.38 |
| कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता | 8,099.70 | 16,530.58 | 20,828.80 | 24,860.50 |
| लागू दरों पर राजस्व | 6,327.23 | 11,162.03 | 14,156.50 | 16,161.13 |
| राजस्व अन्तर | 1,772.47 | 5,368.55 | 6,672.30 | 8,699.37 |
| प्रस्तावित दरों से अतिरिक्त राजस्व | - | 3,489.96 | - | - |
| शेष अन्तर | 1,772.47 | 1,878.59 | 6,672.30 | 8,699.37 |
| औसत उर्जा क्रय दर (बल्क आपूर्ति दर) (रू०/यूनिट) | 4.52 | 4.46 | 4.65 | 4.86 |
| औसत कास्ट ऑफ सर्विस (रू०/यूनिट) | 7.15 | 7.27 | 7.31 | 7.26 |
| सभी डिस्काम: औसत कास्ट ऑफ सर्विस (रू०/यूनिट) | 6.97 | 7.14 | 7.24 | 7.22 |
| सभी डिस्काम: लागू दरों पर थ्रू रेट (रू०/यूनिट) | 5.21 | 5.15 | 5.18 | 5.10 |
| सभी डिस्काम: प्रस्तावित दरों पर थ्रू रेट (रू०/यूनिट) | | 6.32 | | |
| सभी डिस्काम: प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि (%) | | 22.62% | | |
| सभी डिस्काम: राजस्व अन्तर को समाप्त करने हेतु आवश्यक औसत टैरिफ वृद्धि (%) | | 38.58% | | |
| आयोग के आदेश दिनांक 01.08.2016 द्वारा अनुमोदित राजस्व अन्तर (वर्ष 2013-14 के ट्रू-अप सम्मिलित) | | 8,633.86 | | |
| घटायें: वर्ष 2014-15 हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित अन्तर जो उक्त राजस्व अन्तर में सम्मिलित है | | 188.91 | | |
| कुल संचयी राजस्व अन्तर | | 12,096.01 | 18,768.31 | 27,467.68 |

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०

| विवरण | वर्ष 2014-15 (ट्रू-अप) | वर्ष 2017-18 (एम०वाई०टी०) | वर्ष 2018-19 (एम०वाई०टी०) | वर्ष 2019-20 (एम०वाई०टी०) |
|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| वितरण कम्पनियों को ऊर्जा विक्रय (मि०यू०) | 14,772 | 24,667 | 31,763 | 37,652 |
| ऊर्जा विक्रय (मि०यू०) | 11,665 | 19,942 | 26,652 | 33,209 |
| वितरण लाईन हानियाँ (%) | 21.03% | 19.16% | 16.09% | 11.80% |
| व्यय (रु० करोड़) | | | | |
| ऊर्जा क्रय मूल्य (यू०पी०पी०सी०एल० ओ० एण्ड एम० सम्मिलित) | 6,677.14 | 10,999.90 | 14,775.52 | 18,280.40 |
| ट्रांसमिशन चार्जेज | 260.58 | 510.86 | 751.19 | 987.24 |
| अधिष्ठान व्यय | 500.23 | 1,461.34 | 2,045.15 | 2,385.33 |
| लेखा एवं सामान्य व्यय | 92.46 | 327.14 | 467.92 | 548.42 |
| अनुरक्षण व्यय | 161.40 | 473.01 | 617.94 | 753.15 |
| ब्याज एवं वित्त प्रभार | 264.43 | 645.63 | 807.17 | 915.12 |
| प्राक्धान (बैड एवं डाल्टफुल डेब्ट्स) | 105.33 | 131.13 | 141.71 | 152.93 |
| ह्रास | 312.85 | 342.44 | 464.89 | 565.54 |
| आर०ओ०ई० | - | 382.62 | 489.36 | 584.67 |
| घटायें: ब्याज एवं अन्य पूंजीकृत खर्च | 219.38 | 352.60 | 478.67 | 548.43 |
| कुल खर्च | 8,155.05 | 14,921.47 | 20,082.18 | 24,624.36 |
| घटायें: अन्य आय | 33.84 | 28.50 | 29.61 | 30.76 |
| घटायें: राजस्व सहायकी | 902.60 | 1,122.84 | 1,132.49 | 723.73 |
| कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता | 7,218.61 | 13,770.13 | 18,920.08 | 23,869.86 |
| लागू दरों पर राजस्व | 6,354.75 | 10,340.63 | 13,531.86 | 16,590.21 |
| राजस्व अन्तर | 863.86 | 3,429.50 | 5,388.22 | 7,279.65 |
| प्रस्तावित दरों से अतिरिक्त राजस्व | - | 2,454.92 | - | - |
| शेष अन्तर | 863.86 | 974.58 | 5,388.22 | 7,279.65 |
| औसत उर्जा क्रय दर (बल्क आपूर्ति दर) (रु०/यूनिट) | 4.52 | 4.46 | 4.65 | 4.86 |
| औसत कास्ट ऑफ सर्विस (रु०/यूनिट) | 6.96 | 7.47 | 7.52 | 7.41 |
| सभी डिस्काम: औसत कास्ट ऑफ सर्विस (रु०/यूनिट) | 6.97 | 7.14 | 7.24 | 7.22 |
| सभी डिस्काम: लागू दरों पर थ्रू रेट (रु०/यूनिट) | 5.21 | 5.15 | 5.18 | 5.10 |
| सभी डिस्काम: प्रस्तावित दरों पर थ्रू रेट (रु०/यूनिट) | | 6.32 | | |
| सभी डिस्काम: प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि (%) | | 22.62% | | |
| सभी डिस्काम: राजस्व अन्तर को समाप्त करने हेतु आवश्यक औसत टैरिफ वृद्धि (%) | | 38.58% | | |
| आयोग के आदेश दिनांक 01.08.2016 द्वारा अनुमोदित राजस्व अन्तर (वर्ष 2013-14 के ट्रू-अप सम्मिलित) | | 7,751.80 | | |
| घटायें: वर्ष 2014-15 हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित अन्तर जो उक्त राजस्व अन्तर में सम्मिलित है | | 325.91 | | |
| कुल संचयी राजस्व अन्तर | | 9,264.33 | 14,652.55 | 21,932.20 |

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

| विवरण | वर्ष 2014-15 (ट्रू-अप) | वर्ष 2017-18 (एम०वाई०टी०) | वर्ष 2018-19 (एम०वाई०टी०) | वर्ष 2019-20 (एम०वाई०टी०) |
|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| वितरण कम्पनियों को ऊर्जा विक्रय (मि०यू०) | 15,874 | 25,323 | 30,268 | 33,777 |
| ऊर्जा विक्रय (मि०यू०) | 11,429 | 20,241 | 25,350 | 29,690 |
| वितरण लाईन हानियाँ (%) | 28.00% | 20.07% | 16.25% | 12.10% |
| व्यय (रू० करोड़) | | | | |
| ऊर्जा क्रय मूल्य (यू०पी०पी०सी०एल० ओ० एण्ड एम० सम्मिलित) | 7,175.19 | 11,292.53 | 14,080.29 | 16,398.89 |
| ट्रांसमिशन चार्जेज | 280.02 | 524.45 | 715.85 | 885.63 |
| अधिष्ठान व्यय | 383.56 | 890.06 | 1,157.36 | 1,311.12 |
| लेखा एवं सामान्य व्यय | 60.08 | 159.81 | 207.85 | 233.53 |
| अनुरक्षण व्यय | 217.79 | 527.01 | 656.12 | 803.23 |
| ब्याज एवं वित्त प्रभार | 301.27 | 645.22 | 832.64 | 977.86 |
| प्रावधान (बैंड एवं डायटफुल डेब्ट्स) | 132.64 | 189.46 | 202.59 | 214.73 |
| ह्रास | 336.51 | 177.66 | 233.91 | 295.17 |
| आर०ओ०ई० | - | 335.08 | 412.25 | 497.95 |
| घटायें: ब्याज एवं अन्य पूंजीकृत खर्चे | 213.76 | 246.93 | 324.30 | 374.27 |
| कुल खर्चे | 8,673.31 | 14,494.35 | 18,174.56 | 21,243.83 |
| घटायें: अन्य आय | 38.47 | 29.78 | 30.94 | 32.15 |
| घटायें: राजस्व सहायकी | 973.91 | 950.85 | 995.32 | 638.81 |
| कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता | 7,660.93 | 13,513.72 | 17,148.30 | 20,572.88 |
| लागू दरों पर राजस्व | 6,749.03 | 10,975.00 | 13,197.44 | 14,980.40 |
| राजस्व अन्तर | 911.91 | 2,538.72 | 3,950.86 | 5,592.48 |
| प्रस्तावित दरों से अतिरिक्त राजस्व | - | 2,176.81 | - | - |
| शेष अन्तर | 911.91 | 361.92 | 3,950.86 | 5,592.48 |
| औसत उर्जा क्रय दर (बल्क आपूर्ति दर) (रू०/यूनिट) | 4.52 | 4.46 | 4.65 | 4.86 |
| औसत कास्ट ऑफ सर्विस (रू०/यूनिट) | 7.56 | 7.15 | 7.16 | 7.14 |
| सभी डिस्काम: औसत कास्ट ऑफ सर्विस (रू०/यूनिट) | 6.97 | 7.14 | 7.24 | 7.22 |
| सभी डिस्काम: लागू दरों पर थ्रू रेट (रू०/यूनिट) | 5.21 | 5.15 | 5.18 | 5.10 |
| सभी डिस्काम: प्रस्तावित दरों पर थ्रू रेट (रू०/यूनिट) | | 6.32 | | |
| सभी डिस्काम: प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि (%) | | 22.62% | | |
| सभी डिस्काम: राजस्व अन्तर को समाप्त करने हेतु आवश्यक औसत टैरिफ वृद्धि (%) | | 38.58% | | |
| आयोग के आदेश दिनांक 01.08.2016 द्वारा अनुमोदित राजस्व अन्तर (वर्ष 2013-14 के ट्रू-अप सम्मिलित) | | 9,956.42 | | |
| घटायें: वर्ष 2014-15 हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित अन्तर जो उक्त राजस्व अन्तर में सम्मिलित है | | 335.42 | | |
| कुल संचयी राजस्व अन्तर | | 10,894.82 | 14,845.69 | 20,438.16 |

कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाइ कम्पनी लि०

| विवरण | वर्ष 2014-15 (टू-अप) | वर्ष 2017-18 (एम0वाई0टी0) | वर्ष 2018-19 (एम0वाई0टी0) | वर्ष 2019-20 (एम0वाई0टी0) |
|--|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| वितरण कम्पनियों को ऊर्जा विक्रय (मि०यू०) | 3,353 | 4,443 | 4,942 | 5,296 |
| ऊर्जा विक्रय (मि०यू०) | 2,582 | 3,764 | 4,194 | 4,671 |
| वितरण लाईन हानियाँ (%) | 23.00% | 15.28% | 15.13% | 11.80% |
| व्यय (रू० करोड़) | | | | |
| ऊर्जा क्रय मूल्य (यू०पी०पी०सी०एल० ओ० एण्ड एम० सम्मिलित) | 1,515.72 | 1,981.16 | 2,298.75 | 2,571.31 |
| ट्रांसमिशन चार्जेंज | 59.15 | 92.01 | 116.87 | 138.86 |
| अधिष्ठान व्यय | 108.27 | 292.57 | 325.33 | 350.24 |
| लेखा एवं सामान्य व्यय | 23.70 | 58.03 | 61.59 | 65.39 |
| अनुरक्षण व्यय | 48.25 | 51.46 | 64.51 | 79.73 |
| ब्याज एवं वित्त प्रभार | 33.04 | 71.57 | 88.89 | 103.21 |
| प्रावधान (बैंड एवं डाउटफुल डेब्ट्स) | 35.70 | 45.62 | 48.85 | 51.31 |
| ह्रास | 42.37 | 19.17 | 26.89 | 35.44 |
| आर०ओ०ई० | - | 30.27 | 37.80 | 46.38 |
| घटायें: ब्याज एवं अन्य पूंजीकृत खर्च | 1.44 | 54.79 | 62.69 | 68.73 |
| कुल खर्च | 1,864.75 | 2,587.07 | 3,006.79 | 3,373.15 |
| घटायें: अन्य आय | 8.05 | 10.37 | 10.78 | 11.20 |
| घटायें: राजस्व सहायकी | - | - | - | - |
| कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता | 1,856.70 | 2,576.70 | 2,996.02 | 3,361.95 |
| लागू दरों पर राजस्व | 1,689.26 | 2,706.62 | 2,977.84 | 3,257.99 |
| राजस्व अन्तर | 167.45 | -129.92 | 18.18 | 103.96 |
| प्रस्तावित दरों से अतिरिक्त राजस्व | - | 164.17 | - | - |
| शेष अन्तर | 167.45 | -294.08 | 18.18 | 103.96 |
| औसत ऊर्जा क्रय दर (बल्क आपूर्ति दर) (रू०/यूनिट) | 4.52 | 4.46 | 4.65 | 4.86 |
| औसत कास्ट ऑफ सर्विस (रू०/यूनिट) | 7.19 | 6.85 | 7.14 | 7.20 |
| सभी डिस्काम: औसत कास्ट ऑफ सर्विस (रू०/यूनिट) | 6.97 | 7.14 | 7.24 | 7.22 |
| सभी डिस्काम: लागू दरों पर थ्रू रेट (रू०/यूनिट) | 5.21 | 5.15 | 5.18 | 5.10 |
| सभी डिस्काम: प्रस्तावित दरों पर थ्रू रेट (रू०/यूनिट) | | 6.32 | | |
| सभी डिस्काम: प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि (%) | | 22.62% | | |
| सभी डिस्काम: राजस्व अन्तर को समाप्त करने हेतु आवश्यक औसत टैरिफ वृद्धि (%) | | 38.58% | | |
| आयोग के आदेश दिनांक 01.08.2016 द्वारा अनुमोदित राजस्व अन्तर (वर्ष 2013-14 के टू-अप सम्मिलित) | | 610.27 | | |
| घटायें: वर्ष 2014-15 हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित अन्तर जो उक्त राजस्व अन्तर में सम्मिलित है | | (19.29) | | |
| कुल संचयी राजस्व अन्तर | | 502.92 | 521.10 | 625.06 |

नोट:-

- मा० आयोग ने याचिकाकर्ता को प्रस्तावित ऊर्जा क्रय लागत को उचित सीमा तक कम करने के लिए के पुनःकार्य/पुनरावलोकन करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता द्वारा ऊर्जा क्रय लागत को युक्तिसंगत करने का पुनः प्रयास कर रहा है।
- राजस्व अन्तर की प्राप्ति हेतु रेगुलेटरी सरचार्ज मा० आयोग के अनुमोदनानुसार अतिरिक्त लगाया जायेगा।
- वर्ष 2018-19, वर्ष 2019-20 में दिखाया गया राजस्व वर्तमान दरों पर आधारित है क्योंकि प्रस्तावित टैरिफ दर केवल वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 का राजस्व मा० आयोग द्वारा दर प्रस्ताव के अनुमोदनानुसार परिवर्तित किया जायेगा।

प्रस्तावित विद्युत दरों का विवरण वर्ष 2017-18

| दर अनुसूची | उपभोक्ता श्रेणी | प्रस्तावित दर वि०वा० (2017-18) हेतु | |
|--------------|--|--|-------------------------------|
| एल०एम०वी०-1 | घरेलू बत्ती, पंखा | | |
| | क-ग्रामीण आपूर्ति | | |
| | (1) मीटर रहित संयोजन | | |
| | फिक्स्ड चार्ज | सभी भार के लिए | |
| | | 31 मार्च 2018 तक | रु० 650 प्रति कि०वा०प्रति माह |
| | | 31 मार्च 2018 के बाद | रु० 800 प्रति कि०वा०प्रति माह |
| | (2) मीटर सहित संयोजन | | |
| | फिक्स्ड चार्ज | रु० 85 प्रति कि०वा०प्रति माह | |
| | इनर्जी चार्ज | 150 यूनिट/माह तक | रु० 4.40 प्रति यूनिट |
| | | 151 से 300 यूनिट/माह तक | रु० 4.95 प्रति यूनिट |
| | | 301 से 500 यूनिट/माह तक | रु० 5.60 प्रति यूनिट |
| | | 500 यूनिट/माह से अधिक | रु० 6.20 प्रति यूनिट |
| | ख-सिंगल प्वाइण्ट बल्क लोड | | |
| | फिक्स्ड चार्ज | रु० 95 प्रति कि०वा०प्रति माह | |
| | इनर्जी चार्ज | रु० 6.10 प्रति यूनिट | |
| | ग-अन्य मीटर सहित संयोजन (सभी के लिए) | | |
| | फिक्स्ड चार्ज | रु० 100 प्रति कि०वा०प्रति माह | |
| | इनर्जी चार्ज | 150 यूनिट/माह तक | रु० 4.90 प्रति यूनिट |
| | | 151 से 300 यूनिट/माह तक | रु० 5.40 प्रति यूनिट |
| | | 301 से 500 यूनिट/माह तक | रु० 6.20 प्रति यूनिट |
| | | 500 यूनिट/माह से अधिक | रु० 6.70 प्रति यूनिट |
| | घ- लाइफ लाइन उपभोक्ता : | संविदा भार 1 कि०वा०, उपभोग 100 यूनिट/माह तक | |
| | फिक्स्ड चार्ज | रु० 50 प्रति कि०वा०प्रति माह | |
| इनर्जी चार्ज | 0-50 यूनिट/माह तक | रु० 2.00 प्रति यूनिट | |
| | 51-100 यूनिट/माह तक | रु० 3.90 प्रति यूनिट | |
| एल०एम०वी०-2 | वाणिज्यिक बत्ती, पंखा | | |
| | क-ग्रामीण आपूर्ति | | |
| | (1) मीटर रहित संयोजन | | |
| | फिक्स्ड चार्ज | रु० 1000 प्रति कि०वा०प्रति माह | |
| | (2) मीटर सहित संयोजन | | |
| | फिक्स्ड चार्ज | रु० 95 प्रति कि०वा०प्रति माह | |
| | इनर्जी चार्ज | रु० 5.00 प्रति यूनिट | |
| | ख-निजी विज्ञापन/साइन बोर्ड/साइन पोस्ट/ग्लो साइन/फ्लेक्स | | |
| | मीटर सहित संयोजन | | |
| | फिक्स्ड चार्ज | - | |
| | इनर्जी चार्ज | रु० 18.00 प्रति यूनिट | |
| | न्यूनतम चार्ज | रु० 1800.00 प्रति कि०वा० प्रति माह | |
| | ग-अन्य मीटर सहित संयोजन | | |
| | फिक्स्ड चार्ज | 2 कि०वा० भार तक | रु० 300 प्रति कि०वा०प्रति माह |
| | | 2 से 4 कि०वा० तक | रु० 350 प्रति कि०वा०प्रति माह |
| | | 4 कि०वा० से अधिक | रु० 430 प्रति कि०वा०प्रति माह |
| | इनर्जी चार्ज | 300 यूनिट/माह तक | रु० 7.00 प्रति यूनिट |
| | | 301 से 1000 यूनिट/माह तक | रु० 8.00 प्रति यूनिट |
| | | 1000 यूनिट/माह से अधिक | रु० 8.30 प्रति यूनिट |
| | न्यूनतम चार्ज | अप्रैल से सितम्बर | रु० 575 प्रति कि०वा०प्रति माह |
| | | अक्टूबर से मार्च | रु० 425 प्रति कि०वा०प्रति माह |

| | | |
|--------------------|--|--|
| एल0एम0वी0-3 | सार्वजनिक प्रकाश | |
| | (1) मीटर रहित संयोजन | |
| | ग्राम पंचायत | रु0 2000.00 प्रति कि0वा0 या भाग पर प्रति माह |
| | नगर पालिका/नगर पंचायत | रु0 3000.00 प्रति कि0वा0 या भाग पर प्रति माह |
| | नगर निगम | रु0 4000.00 प्रति कि0वा0 या भाग पर प्रति माह |
| | (2) मीटर सहित संयोजन | |
| | फिक्स्ड चार्ज | |
| | ग्राम पंचायत | रु0 160 प्रति कि0वा0प्रति माह |
| | नगर पालिका/नगर पंचायत | रु0 200 प्रति कि0वा0प्रति माह |
| | नगर निगम | रु0 220 प्रति कि0वा0प्रति माह |
| | इनर्जी चार्ज | |
| | ग्राम पंचायत | रु0 7.00 प्रति यूनिट |
| | नगर पालिका/नगर पंचायत | रु0 7.50 प्रति यूनिट |
| | नगर निगम | रु0 7.75 प्रति यूनिट |
| | टाईम ऑफ द डे (%इनर्जी चार्ज) | |
| | 18:00 से 06:00 बजे तक | 0% |
| | 06:00 से 18:00 बजे तक | (+) 20% |
| एल0एम0वी0-4 | सार्वजनिक एवं निजी संस्थाएँ | |
| | अ-सार्वजनिक संस्थाएँ | |
| | फिक्स्ड चार्ज | 2 कि0वा0 भार तक रु0 275 प्रति कि0वा0प्रति माह |
| | | 2कि0वा0 से अधिक - 4कि0वा0 तक रु0 290 प्रति कि0वा0प्रति माह |
| | | 4 कि0वा0 से अधिक रु0 300 प्रति कि0वा0प्रति माह |
| | इनर्जी चार्ज | 1000 यूनिट/माह तक रु0 7.80 प्रति यूनिट |
| | | 1001 से 2000 यूनिट/माह तक रु0 8.10 प्रति यूनिट |
| | | 2000 यूनिट/माह से अधिक रु0 8.30 प्रति यूनिट |
| | ब-निजी संस्थाएँ | |
| | फिक्स्ड चार्ज | 3 कि0वा0 भार तक रु0 310/कि0वा0/माह |
| | | 3 कि0वा0 भार से अधिक रु0 390/कि0वा0/माह |
| | इनर्जी चार्ज | 1000 यूनिट/माह तक रु0 8.60 प्रति यूनिट |
| | | 1000 यूनिट/माह से अधिक रु0 8.90 प्रति यूनिट |
| एल0एम0वी0-5 | निजी नलकूप | |
| | क-ग्रामीण आपूर्ति | |
| | (1) मीटर रहित संयोजन | |
| | फिक्स्ड चार्ज | रु0 160 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह |
| | अधिकतम लाईट लोड स्वीकृत | 120 वाट |
| | (2) मीटर सहित संयोजन | |
| | फिक्स्ड चार्ज | रु0 60 प्रति बीएचपी प्रति माह |
| | इनर्जी चार्ज | रु0 1.75 प्रति यूनिट |
| | न्यूनतम चार्ज | रु0 160 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह |
| | (3) ऊर्जा कुशल पम्प | |
| | फिक्स्ड चार्ज | रु0 60 प्रति बीएचपी/माह |
| | इनर्जी चार्ज | रु0 1.50 प्रति यूनिट |
| | न्यूनतम चार्ज | रु0 130 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह |
| | ख-शहरी आपूर्ति | |
| | फिक्स्ड चार्ज | रु0 120 प्रति बीएचपी प्रति माह |
| | इनर्जी चार्ज | रु0 6.00 प्रति यूनिट |
| | न्यूनतम चार्ज | रु0 200 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह |
| | बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ग्रामसभा के निजी नलकूप उपभोक्ताओं को, जबतक मीटर स्थापित नहीं हो जाता है, न्यूनतम राशि रु0 160/बीएचपी/माह भुगतान करना होगा। | |

| | | |
|--------------------|---|---|
| एल0एम0वी0-6 | लघु एवं मध्यम उद्योग | |
| | क-शहरी आपूर्ति | |
| | फिक्स्ड चार्ज | 4 कि0वा0 भार तक |
| | | रु0 245 प्रति कि0वा0प्रति माह |
| | | 4कि0वा0 से अधिक - 9कि0वा0 तक |
| | | रु0 255 प्रति कि0वा0प्रति माह |
| | | 9 कि0वा0 से अधिक |
| | | रु0 275 प्रति कि0वा0प्रति माह |
| | इनर्जी चार्ज | 1000 यूनिट/माह तक |
| | | रु0 7.00/यूनिट सम्पूर्ण उपभोग पर |
| | | 2000 यूनिट/माह तक |
| | | रु0 7.35/यूनिट सम्पूर्ण उपभोग पर |
| | | 2000 यूनिट/माह से अधिक |
| | | रु0 7.60/यूनिट सम्पूर्ण उपभोग पर |
| | ख-ग्रामीण आपूर्ति | |
| | ग्रामीण आपूर्तित उपभोक्ताओ को शहरी आपूर्ति पर लागू डिमाण्ड चार्ज एवं इनर्जी चार्ज पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी0ओ0डी0 रेट के अनुमन्य। | |
| | टाईम ऑफ द डे (: इनर्जी चार्ज) | |
| | 22:00 से 06:00 बजे तक | (-) 7.5% |
| | 06:00 से 17:00 बजे तक | 0% |
| | 17:00 से 22:00 बजे तक | (+) 15% |
| | विशिष्ट उपभोक्ताओ हेतु वैकल्पिक टी0ओ0डी0 | |
| | 06:00 से 22:00 बजे तक | |
| | 22:00 से 06:00 बजे तक | |
| एल0एम0वी0-7 | जलकल | |
| | क-शहरी आपूर्ति | |
| | फिक्स्ड चार्ज | रु0 350 प्रति कि0वा0प्रति माह |
| | इनर्जी चार्ज | रु0 8.30 प्रति यूनिट |
| | ख-ग्रामीण आपूर्ति | |
| | ग्रामीण आपूर्तित उपभोक्ताओ को शहरी आपूर्ति पर लागू डिमाण्ड चार्ज एवं इनर्जी चार्ज पर 7.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य। | |
| एल0एम0वी0-8 | राजकीय नलकूप, पंचायतीराज नलकूप एवं पम्प कैनाल | |
| | (1) मीटर सहित संयोजन | |
| | फिक्स्ड चार्ज | रु0 300 प्रति बीएचपी प्रति माह |
| | इनर्जी चार्ज | रु0 7.40 प्रति यूनिट |
| | (2) मीटर रहित संयोजन | |
| | फिक्स्ड चार्ज | रु0 3000 प्रति बीएचपी प्रति माह |
| एल0एम0वी0-9 | अस्थायी संयोजन | |
| | (1) मीटर रहित संयोजन | |
| | फिक्स्ड चार्ज | रु0 4250 प्रति दिन |
| | क. सार्वजनिक प्रकाश/उद्घोषणा/समारोह (20कि.वा. भार तक एवं रु0 100/कि0वा0/दिन प्रत्येक अतिरिक्त कि0वा0 भार के लिए) | |
| | ख. फिक्स्ड चार्ज: मेलो/त्योहारों में अस्थायी दुकान (2कि.वा. तक) | रु0 500 प्रति दिन प्रति दुकान |
| | (2) मीटर सहित संयोजन | |
| | इनर्जी चार्ज | |
| | (1) व्यक्तिगत मकान निर्माण हेतु | रु0 7.50 प्रति यूनिट तृतीय वर्ष से आगे के लिए: वर्तमान लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त |
| | (2) अन्य | रु0 8.50 प्रति यूनिट तृतीय वर्ष से आगे के लिए: वर्तमान लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त |
| | न्यूनतम चार्ज | रु0 400 प्रति कि0वा0/सप्ताह |

| एल0एम0वी0-10 | | विभागीय उपभोक्ता | |
|---|-------------------------------|---|---------------------|
| (1) मीटर रहित संयोजन | | फिक्सड चार्ज | फिक्सड इनर्जी चार्ज |
| उपभोक्ता श्रेणी | | | प्रति माह |
| चतुर्थ श्रेणी/परिचालीय वर्ग | | रु0 260 प्रति माह | रु0 290 प्रति माह |
| तृतीय श्रेणी | | रु0 300 प्रति माह | रु0 360 प्रति माह |
| अवर अभियंता एवं समकक्ष | | रु0 410 प्रति माह | रु0 680 प्रति माह |
| सहायक अभियंता एवं समकक्ष | | रु0 450 प्रति माह | रु0 900 प्रति माह |
| अधिशाली अभियंता एवं समकक्ष | | रु0 480 प्रति माह | रु0 950 प्रति माह |
| अधीक्षण अभियंता/उप महाप्रबंधक एवं समकक्ष | | रु0 800 प्रति माह | रु0 1125 प्रति माह |
| मुख्य अभियंता (I&II)/महाप्रबंधक एवं उपमहाप्रबंधक | | रु0 960 प्रति माह | रु0 1300 प्रति माह |
| अतिरिक्त चार्ज - ए0सी0 के उपयोग पर | | रु0 875 प्रति ए0सी0 प्रति माह | |
| (2) मीटर सहित संयोजन | | घरेलू बल्बी पंखा (एल0एम0वी0-1) के "अन्य मीटर्ड" श्रेणी के अन्तर्गत रेट आफ चार्ज पर 50 प्रतिशत छूट | |
| एच0वी0-1 | | उद्योग रहित बल्क लोड | |
| (क) वाणिज्यिक भार/निजी संस्थान/गैर घरेलू बल्क पावर उपभोक्ता हेतु (75 कि.वा. एवं अधिक भार तथा एकल बिन्दु पर आपूर्ति 11 के.वी. एवं अधिक विभव पर) | | | |
| डिमान्ड चार्ज | | | |
| आपूर्ति 11 के.वी. पर | 100 के0वी0ए0 तक | रु0 360/के.वी.ए./माह | |
| | 100 के0वी0ए0 से अधिक | रु0 400/के.वी.ए./माह | |
| आपूर्ति 33 के.वी. एवं अधिक पर | 100 के0वी0ए0 तक | रु0 360/के.वी.ए./माह | |
| | 100 के0वी0ए0 से अधिक | रु0 400/के.वी.ए./माह | |
| इनर्जी चार्ज | | | |
| आपूर्ति 11 के.वी. पर | प्रथम 2500 के.वी.ए.एच./माह तक | रु0 7.90/के.वी.ए.एच. | |
| | 2500 के.वी.ए.एच./माह से अधिक | रु0 8.25/के.वी.ए.एच. | |
| आपूर्ति 33 के.वी. एवं अधिक पर | प्रथम 2500 के.वी.ए.एच./माह तक | रु0 7.70/के.वी.ए.एच. | |
| | 2500 के.वी.ए.एच./माह से अधिक | रु0 8.05/के.वी.ए.एच. | |
| (ख) सार्वजनिक संस्थान, रजिस्टर्ड सोसायटी/टाउनशिप, आवासीय बहुमंजिला इमारत हेतु (75कि.वा. एवं अधिक भार तथा एकल बिन्दु पर आपूर्ति 11के.वी. एवं अधिक विभव पर) | | | |
| डिमान्ड चार्ज | | | |
| आपूर्ति 11 के.वी. पर | 100 के0वी0ए0 तक | रु0 325/के.वी.ए./माह | |
| | 100 के0वी0ए0 से अधिक | रु0 340/के.वी.ए./माह | |
| आपूर्ति 33 के.वी. एवं अधिक पर | 100 के0वी0ए0 तक | रु0 325/के.वी.ए./माह | |
| | 100 के0वी0ए0 से अधिक | रु0 340/के.वी.ए./माह | |
| इनर्जी चार्ज | | | |
| आपूर्ति 11 के.वी. पर | प्रथम 2500 के.वी.ए.एच./माह तक | रु0 7.50/के.वी.ए.एच. | |
| | 2500 के.वी.ए.एच./माह से अधिक | रु0 7.70/के.वी.ए.एच. | |
| आपूर्ति 33 के.वी. एवं अधिक पर | प्रथम 2500 के.वी.ए.एच./माह तक | रु0 7.30/के.वी.ए.एच. | |
| | 2500 के.वी.ए.एच./माह से अधिक | रु0 7.50/के.वी.ए.एच. | |

| | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--|---------------------------------------|
| एच0वी0-2 | बड़े एवं भारी उद्योग | | | | |
| | 0.4 के.वी. विद्युत आपूर्ति पर | 11 के.वी. विद्युत आपूर्ति पर लागू दर | | | |
| | 11 के.वी. एवं अधिक विद्युत आपूर्ति पर | | | | |
| | क-शहरी आपूर्ति | | | | |
| | आधार दर | 11 के.वी. विद्युत आपूर्ति पर | 11 के.वी. से अधिक एवं 66 के0वी0 तक विद्युत आपूर्ति पर | 66 के.वी. से अधिक एवं 132 के0वी0 तक विद्युत आपूर्ति पर | 132 के.वी. से अधिक विद्युत आपूर्ति पर |
| | डिमाण्ड चार्ज (रू0/के0वी0ए0/माह) | 250 | 240 | 220 | 220 |
| | इनर्जी चार्ज (रू0/के0वी0ए0एच0) | 6.65 | 6.35 | 6.15 | 5.95 |
| | टाईम ऑफ द डे | | | | |
| | 22:00 से 06:00 बजे तक | (-) 7.50% | | | |
| | 06:00 से 17:00 बजे तक | 0% | | | |
| | 17:00 से 22:00 बजे तक | (+) 15% | | | |
| | इंडक्शन फरनेस/आर्क फरनेस, रोलिंग/री-रोलिंग मिल औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु 22:00 -06:00 समय काल में टी0ओ0डी0 दरें (-) 7.5 प्रतिशत के स्थान पर (-) 20 प्रतिशत होगी। | | | | |
| | विशिष्ट उपभोक्ताओ हेतु वैकल्पिक टी0ओ0डी0 | | | | |
| | 06:00 से 22:00 बजे तक | - | | | |
| | 22:00 से 06:00 बजे तक | - | | | |
| | ख-ग्रामीण आपूर्ति | ग्रामीण आपूर्ति केवल 11 के0वी0 तक के उपभोक्ताओ को ही अनुमत्य होगी। इस श्रेणी के उपभोक्ता को शहरी आपूर्ति पर लागू डिमाण्ड एवं इनर्जी चार्ज पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी0ओ0डी0 रेट के अनुमत्य। | | | |
| एच0वी0-3 | रेलवे ट्रैक्शन | | | | |
| | (क) रेलवे ट्रैक्शन | | | | |
| | डिमाण्ड चार्ज | | | | |
| | आपूर्ति 132 के.वी. एवं अधिक | रू0 365 प्रति के.वी.ए. प्रति माह | | | |
| | आपूर्ति 132 के.वी. से कम | रू0 375 प्रति के.वी.ए. प्रति माह | | | |
| | इनर्जी चार्ज | | | | |
| | आपूर्ति 132 के.वी. एवं अधिक | रू0 7.65 प्रति के.वी.ए.एच. | | | |
| | आपूर्ति 132 के.वी. से कम | रू0 7.90 प्रति के.वी.ए.एच. | | | |
| | न्यूनतम चार्ज | रू0 850 प्रति के.वी.ए. प्रति माह | | | |
| | (ख) मेट्रो रेल कारपोरेशन | | | | |
| | 132 के.वी. या कम आपूर्ति पर | | | | |
| | डिमाण्ड चार्ज | रू0 200 प्रति के.वी.ए. प्रति माह | | | |
| | इनर्जी चार्ज | रू0 6.50 प्रति के.वी.ए.एच. | | | |
| | न्यूनतम चार्ज | रू0 800 प्रति के.वी.ए. प्रति माह | | | |
| | संविदा भार से अधिक उपभोग पर रू0 540/के.वी.ए. की दर जुर्माना लिया जायेगा | | | | |
| एच0वी0-4 | लिफ्ट इरीगेशन | | | | |
| | डिमाण्ड चार्ज | | | | |
| | आपूर्ति 11 के.वी. पर | रू0 320 प्रति के.वी.ए. प्रति माह | | | |
| | आपूर्ति 33 के.वी. एवं 66 के.वी. पर | रू0 310 प्रति के.वी.ए. प्रति माह | | | |
| | आपूर्ति 132 के.वी. पर | रू0 300 प्रति के.वी.ए. प्रति माह | | | |
| | इनर्जी चार्ज | | | | |
| | आपूर्ति 11 के.वी. पर | रू0 7.70 प्रति के.वी.ए.एच. | | | |
| | आपूर्ति 33 के.वी. एवं 66 के.वी. पर | रू0 7.55 प्रति के.वी.ए.एच. | | | |
| | आपूर्ति 132 के.वी. पर | रू0 7.35 प्रति के.वी.ए.एच. | | | |
| | न्यूनतम चार्ज | रू0 1000 प्रति के.वी.ए. प्रति माह | | | |

बैंच मार्किंग स्टडीज़ रिपोर्ट, संदर्भित ए0आर0आर0 एवं बहुवर्षीय दर प्रस्ताव तथा ट्रू-अप याचिकायें, आयोग द्वारा प्रेषित प्रश्नों के प्रत्युत्तर के साथ, संबंधित वितरण निगमों की वेबसाइट (www.pvvn.org, www.dvvn.org, www.mvvn.in, www.puvvn.up.nic.in, www.kesco.co.in and www.uppcl.org) पर उपलब्ध हैं ।

समस्त स्टेक-होल्डर, सामान्य जनता तथा सभी उपभोक्ता समय-समय पर टैरिफ निर्धारण से संबंधित लाइसेन्सी द्वारा प्रेषित अभिलेखों की अद्यतन जानकारी वितरण निगमों तथा उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं ।

सभी सम्बन्धित उपभोक्ता, संस्था, अनुज्ञप्तिधारक और सरकार के विभाग अपने प्रतिवेदन नोटराइज्ड पथपत्र के साथ छह प्रतियों में जिसमें चार प्रति सचिव, उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग, किसान मण्डी भवन, द्वितीय तल, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को तथा दो प्रतियाँ मुख्य अभियन्ता आर0ए0यू0, 15वाँ तल, वित्त भवन विस्तार, लखनऊ को इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों में प्रेषित कर सकते हैं ।

अध्यक्ष
मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल
विद्युत वितरण निगम एवं केस्को

राष्ट्रिय में बिजली बचयें